


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या :- 302/2024  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/491

प्रार्थीगण  
जेतेखां पुत्र महेन्द्रखां  
जाति मुसलमान  
निवासी रेवाड़ा मैया  
तहसील पंचपदरा व जिला बालोतरा


बनाम

विप्रार्थीगण



1. अणदाराम पुत्र सोमाराम  
जाति कलबी निवासी रेवाड़ा जेतमाल
2. अमराराम पुत्र शेराराम जाति कलबी  
निवासी रेवाड़ा जेतमाल
3. कमुखां पुत्र मोडेखां जाति मुसलमान  
निवासी कोडुका
4. जमालखां पुत्र मोडेखां  
जाति मुसलमान निवासी कोडुका
5. गन्नीखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान  
निवासी बड़नावा जागीर
6. चानणखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान  
निवासी बड़नावा जागीर
7. रामजीराम पुत्र किसनाराम जाति कलबी  
निवासी रेवाड़ा जेतमाल
8. सुभानखां पुत्र मोडेखां जाति मुसलमान  
निवासी कोडुका
9. साउखां पुत्र मोडेखां जाति मुसलमान  
निवासी कोडुका
10. सुबटी पत्नी भाईखां जाति मुसलमान  
निवासी बड़नावा जागीर
11. हनीफखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान  
निवासी बड़नावा जागीर
12. जोसबखां पुत्र इबरेखां
13. नसीरखां पुत्र इबरेखां
14. मोजीखां पुत्र इबरेखां
15. रसूलखां पुत्र इबरेखां
16. हाजीखां पुत्र इबरेखां
17. सरीफो पत्नी इबरेखां जाति मुसलमान  
निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पंचपदरा

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा



18. घेवरराम पुत्र रामकिशन
19. मांगीलाल पुत्र रामकिशन
20. बादु पत्नी लादु
21. सुखराम पुत्र लादु
22. हड़मान पुत्र लादु
23. समदादेवी पत्नी सुखराम  
जाति विश्नोई निवासी रेवाड़ा वारठान  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
24. अलीशेर पुत्र धूमेखां
25. कादरखां पुत्र धूमेखां
26. मिसरा पुत्र धूमेखां
27. मिमों पत्नी धूमेखां
28. सफीखां पुत्र धूमेखां
29. नेकूखां पुत्र मेजलखां
30. नसीरखां पुत्र मेजलखां
31. रिमजा पुत्र मेजलखां
32. निजामखां पुत्र रेशमा
33. फतेहखां पुत्र रेशमा
34. बिलाल पुत्र रेशमा
35. मिरूखां पुत्र रेशमा
36. सोकीन पत्नी रेशमा
37. इलेखां पुत्र रेशमा
38. हयातखां पुत्र रेशमा  
जाति सिपाई मुसलमान  
निवासी रेवाड़ा मईया  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
39. नेमाराम पुत्र चेनाराम जाति चौधरी  
निवासी थोब
40. पूनमाराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई
41. भागीरथराम पुत्र भैराराम
42. किसनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश  
जाति विश्नोई निवासी कुडी
43. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,  
तहसील पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री जूजाराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थीगण.
2. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5,8,9,11
3. विप्रार्थी संख्या 2,6,7,10 व 12 से 43 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 24.03.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 263/189 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 263/189 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5,8,9,11 की ओर से वकालतनामा कर जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 2,6,7,10 व 12 से 43 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए हमारे सामने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 263/189 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाजं नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

बारदान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 263/189 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4. विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5,8,9,11 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण व विप्रार्थी के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी की ओर से कभी दखलदांजी नहीं की गई है, जबकि इसके विपरीत प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी को परेशान किया जा रहा है तथा विवादित आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी एकपक्षीय प्रार्थीगण की ओर से तैयार की गई है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रेवाड़ा बारदान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 263/189 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2074-2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्ड खातेदार है, और रिकॉर्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार हम हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो

तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटारे जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.7.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटारा जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।




उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा


—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 263/189 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।



  
(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.03.2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा  
24/03/2025